

न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

{समक्ष-अमित कुमार गुप्ता}

दायरा पंजी वाद क0 40 ए/2017

संस्थित दिनांक 22.09.2015

1. पर्वतसिंह आयु 52 साल पुत्र मलखानसिंह
2. तेजसिंह आयु 42 साल पुत्र मलखानसिंह
समस्त जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम गुरियाची
परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....वादीगण

विरुद्ध

1. जगमोहन पुत्र श्री मानसिंह राजपूत आयु 37 साल
निवासी ग्राम गुरियाची परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर
जिला भिण्ड म0प्र0
3. श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी तेजसिंह
निवासी ग्राम गुरियाची
4. माधोराव पुत्र तेजसिंह नाबालिग
5. सत्यम पुत्र तेजसिंह नाबालिग
6. कुमारी माधुरी पुत्री तेजसिंह नाबालिग
व सरपरस्त मुन्नीबाई पत्नी तेजसिंह राजपूत
निवासी ग्राम गुरियाची पर0 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेशसिंह गुर्जर
प्रतिवादी क0 1 व 3 लगायत 6 द्वारा अधिवक्ता श्री शिवनाथ शर्मा।
प्रति0क0 2 पूर्व से एकपक्षीय।

:::: निर्णय :::

(आज दिनांक 28.10.2017 को उद्घोषित)

यह वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत् भूमि स्थित बांके मौजा गुरियाची परगना व तहसील गोहद जिला भिण्ड सर्वे क0 68/2 जिसके रकबा 0.08 का वादी क0 1 तथा रकबा 0.62 हे0 का वादी क0 2 शेष भूमि सर्वे क0 72/2 रकबा 0.282, सर्वे क0 308 रकबा 0.251, सर्वे क0 361 रकबा 0.115, सर्वे क0 382 रकबा 0.073, सर्वे क0 383 रकबा 0.042, सर्वे क0 393 रकबा 0.115 एवं सर्वे क0 814 रकबा 0.512 हे0 पर दोनों वादीगण का समान रूप से स्वत्व व आधिपत्य घोषित करने, (जिसे अत्र पश्चात् "विवादित भूमियां." कहा जायेगा), इसी प्रकार से मकान

जिसकी चतुर सीमा में उत्तर में मकान मेहताबसिंह, दक्षिण में मकान अजमेरसिंह, पूर्व में रास्ता एवं प्रथ्वीराज का गौड़ा तथा पश्चिम में रास्ता एवं मकान मानसिंह, जिसे वादपत्र संलग्न नजरी नक्शा में लाल रेखांकित भाग के रूप में दर्शित किया है, उस पर वादीगण के समान रूप से स्वत्व व आधिपत्यधारी घोषित किए जाने, (जिसे अत्र पश्चात् "विवादित मकान" कहा जायेगा), तथा प्रति0 क्र0 1 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही गयी है।

2. प्रकरण में स्वीकृत व उल्लेखनीय तथ्य है कि वादीगण सगे भाई हैं एवं वादी क्र0 2 की पत्नी प्रतिवादी क्र0 3 है तथा प्रतिवादी क्र0 4 लगायत 6 उन दोनों की संतानें हैं।

3. वाद पत्र के सुसंगत अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि विवादित भूमियों में सर्वे क्र0 68/2 के रकबा 0.08 का वादी क्र0 1 पर्वतसिंह व रकबा 0.62 हे0 का वादी क्र0 2 तथा शेष विवादित भूमियों पर समान रूप से वादीगण का स्वत्व व आधिपत्य होकर राजस्व अभिलेख में बतौर भूमिस्वामी स्वत्व व आधिपत्यधारी हैं। इसी प्रकार से विवादित मकान वादीगण को उनके पिता मलखानसिंह के समय से ही आधिपत्य में होकर काबिज हैं। वादीगण विवादित कृषि भूमियों पर कृषि कार्य करते हैं। प्रति0क्र0 1 दुष्चरित्र व खतरनाक व्यक्ति है, उसे उसके परिवार व अन्य लोगों का संरक्षण प्राप्त है। वादीगण के माता पिता की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। वादी क्र0 1 की पत्नी शादी के पश्चात् फौत हो गयी, जबकि प्रति0क्र0 2 वादी क्र0 2 की पत्नी हैं व घर ग्रहस्थी की देखरेख करती एवं घर के जेवर सम्पदा आदि रखती है। उनकी तीन संतानें प्रति0क्र0 4 लगायत 6 हैं। चूंकि वादीगण के घर में अन्य कोई महिला सदस्य नहीं थी और वादीगण कृषि पेशा और पशु पालक है इस कारण वे पशु चराने एवं खेती करने के लिए दिन में बाहर चले जाते थे, इसी दरम्यान प्रति0क्र0 1 वादीगण के घर चोरी छिपे आने लगा जिसके वादी क्र0 2 की पत्नी प्रतिवादी क्र0 3 से प्रेम प्रसंग बढकर अवैध संबंध स्थापित हो गए। उक्त जानकारी होने पर वादीगण द्वारा आपत्ति करने पर प्रति0क्र0 1 झगडे पर आमादा हो गए। वादीगण के घर के जेवर, नगदी, खाद एवं सरसों की बोरी चोरी कर ली और प्रत्येक प्रकार से तंग करने लगा जिसके संबंध में दिनांक 26.02.14 को थाना प्रभारी मौ को आवेदन दिया किन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, इससे उसके और हौंसले बुलंद हो गए। दिनांक 20.08.14 को प्रति0क्र0 1 व उसके मित्र बलवीर ने घर में आना जाना प्रारंभ कर दिया और जब वादीगण ने आपत्ति की तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जिसके संबंध में वादी क्र0 1 पर्वतसिंह ने रिपोर्ट की। तत्पश्चात् दिनांक 01.07.15 को सुबह 8 बजे जब वादीगण अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे तब प्रति0क्र0 1 अवैध माउजर कट्टा लेकर आया और धमकी दी कि उनके मकान पर कब्जा कर लेगा और खेती नहीं करने देगा तथा पत्नी मुन्नीबाई को पकडकर ले जाएगा। जब वादीगण ने प्रति0क्र0 1 के पिता व चाचा से शिकायत की तो उन्होंने कहाकि अब प्रति0क्र0 1 उनके परिवार की ओर नहीं जाएगा किन्तु प्रति0क्र0 1 नहीं माना और घरों पर पत्थर फेंकने लगा तथा धमकी दी कि घर में बम या हथगोला फेंककर पूरे परिवार को नष्ट कर देगा।

4. यह भी अभिवचन किया कि दिनांक 15.08.15 को समाज के पंचों को इकट्ठा करने जब वादीगण गए तो दिन के 12 बजे लौटकर आने पर प्रति0क्र0 1 विवादित मकान पर अवैध कट्टा लिए मिला व वादी क्र0 2 की पत्नी व बच्चों को बंधक बना लिया। घर में रखा सोना, जेवर, नगदी वादी क्र0 2 की पत्नी से ले लिया। वादीगण को धमकी दी कि खेती नहीं करने देगा और जबरन खेत जोत लेगा तथा मकान पर कब्जा कर लेगा। प्रति0क्र0 1 का विवादित भूमि एवं मकान से कोई भी संबंध नहीं है। वह जबरन ताकत के बल पर वादीगण की विवादित भूमि व मकान को कब्जा करना चाहता है। इस कारण से वादीगण द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया।

5. प्रतिवादी क्र0 1 द्वारा वादपत्र के अभिवचनों का प्रत्याख्यान करते हुए यह लेख किया कि प्रति0क्र0 1 ने वादीगण के घर कभी कोई चोरी नहीं की। वादीगण ने यदि पुलिस में रिपोर्ट की हो तो उसको जानकारी नहीं है। प्रति0क्र0 1 ने वादी क्र0 2 की पत्नी प्रति0क्र0 3 मुन्नीबाई से कभी प्रेम प्रसंग नहीं बढ़ाया और न ही दिनांक 20.08.14 अथवा अन्य किसी तारीख को वादी की मारपीट की। वादी ने पुलिस से साठगांठ कर झूठा अपराध पंजीबद्ध कराया है। दिनांक 15.08.15 को प्रतिवादी ने वादी के बच्चों को बंधक नहीं बनाया और न ही जेवर आदि कुछ लिया। वादी ने असत्य वाद कारण दिनांक लेखकर वाद प्रस्तुत किया है। अतिरिक्त आपत्ति के रूप में यह लेख किया कि वादी क्र0 1 की कोई संतान नहीं है। वादी क्र0 2 की पत्नी मुन्नीबाई के तीन बच्चे हैं। वादी क्र0 2 वादी क्र0 1 के कहे में रहता है, दोनों अपना घर छोड़कर मामा के लडकों के घर रहते हैं। वादी क्र0 2 अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर रहा। संपूर्ण जमीन का अनाज मामा के लडकों के यहां रखता है और बेचकर आराम करता है। जब मुन्नीबाई के रिश्तेदारों ने उनकी मदद की तो उन पर झूठा कैस लगाकर भगा दिया। अब प्रति0क्र0 1 परिवार व समाज के नाते मदद करता है तो मिथ्या दावा प्रस्तुत कर दिया है। प्रति0क्र0 1 का मकान विवादित मकान के पास नहीं है बल्कि दूसरे मौहल्ले में है। विवादित भूमि पर खेती वादी क्र0 1 के भतीजे एवं वादी क्र0 2 के लडके माधौराव व सत्यम की हो रही है जो उनकी माँ प्रति0क्र0 3 मुन्नीबाई कराती है। वादी उसकी खेती में बाधा उत्पन्न करते हैं और प्रतिवादी मदद करता है तो यह दावा प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है।

6. प्रति0क्र0 3 लगायत 6 की ओर से प्रथक से जबाव दावा प्रस्तुत कर अभिवचन किया कि विवादित भूमि व मकान उन्हें स्वीकार है। प्रतिवादी क्र0 1 ने वादी के घर में कभी कोई चोरी नहीं की, उसकी झूठी रिपोर्ट की हो तो प्रतिवादीगण को जानकारी नहीं है। प्रतिवादी क्र0 3 का प्रतिवादी क्र0 1 से कोई प्रेम प्रसंग नहीं चला न ही दिनांक 20.08.14 को प्रति0क्र0 1 द्वारा वादीगण की कोई मारपीट की गयी। वादीगण ने पुलिस से मिलकर झूठा मुकदमा पंजीबद्ध कराया है। दिनांक 01.07.15 को प्रति0क्र0 1 से प्रति0क्र0 3 की कोई बातचीत नहीं हुई, झूठी बदनामी के लिए तथ्य लेख किए हैं। दिनांक 15.08.15 को प्रतिवादी क्र0 1 ने उन्हें बंधक नहीं बनाया न ही कोई जेवर आदि लिए। मिथ्या वाद कारण दर्शाकर वाद प्रस्तुत किया गया है। अतिरिक्त आपत्ति में प्रति0क्र0 1 के समान ही वादी क्र0 2 द्वारा अपने मामा के लडकों के यहां रहने व परिवार का पालन पोषण न करने

का तथ्य लेख किया है। विवादित भूमि पर उनकी कृषि होने के संबंध में अभिवचन किया। प्रति0क0 1 द्वारा प्रतिवादीगण की मदद करने के कारण परेशान करने की नियत से असत्य दावा प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है। अतः निरस्त करने की प्रार्थना की है।

7. उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद प्रश्न निम्नानुसार विरचित किये गये, जिनका निष्कर्ष विवेचन उपरांत उनके समक्ष दिया जायेगा—

क्र0

वाद-प्रश्न

निष्कर्ष

- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1 | क्या मौजा गुरियाची परगना गोहद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 68/2 के रकबा 0.08 का पर्वतसिंह व 0.62 है0 का तेजसिंह तथा भूमि सर्वे क्र0 72/2 रकबा 0.282, 308 रकबा 0.251, 361 रकबा 0.115, 382 रकबा 0.073 383 रकबा 0.042, 393 रकबा 0.115, 814 रकबा 0.512 के वादीगण समान भाग भूमिस्वामी है ? | " साबित नहीं हुआ " |
| 2 | क्या उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आधिपत्य है ? | "साबित " |
| 3 | क्या प्रतिवादी क्र0 1 जगमोहन द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ? | "साबित " |
| 4 | सहायता एवं व्यय ? | "पैरा 14 के अनुसार " |

सकारण निष्कर्ष

8. प्रकरण में वादीगण की ओर से स्वयं वादी क्र0 1 पर्वतसिंह वा0सा0 1 के रूप में परीक्षित कराए गए। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रति0क0 3 मुन्नीबाई प्रति0सा0 1 तथा प्रति0क0 1 जगमोहन प्रति0सा0 2 के रूप में परीक्षित कराए गए। दस्तावेजों में वादीगण की ओर से धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्र0पी0 1, डाक रसीद प्र0पी0 2, थाना मौ में की गयी लिखित शिकायत दिनांक 26.02.14 प्र0पी0 3, एफआईआर अप0क0 289/14 प्रपी0 4, शिकायती आवेदन की 6 डाक रसीद प्र0पी0 5, वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया शिकायती आवेदन प्र0पी0 6, खतौनी सन 2014-15 प्रमाणित प्रति प्र0पी0 7, खसरा वर्ष 2014-15 दो प्रति में प्रमाणित प्रति प्र0पी0 8, खसरा वर्ष 2014-15 प्रमाणित प्रति प्र0पी0 9, खतौनी वर्ष 2014-15 प्रमाणित प्रति प्रपी0 10 के रूप में प्रस्तुत की है।

वाद प्रश्न क्र0 1, 2 का निष्कर्ष

9. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु वादप्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। वादी पर्वतसिंह वा0सा0 1 द्वारा अपने अभिवचनों की पुनरावृत्ति शपथपत्र के माध्यम से की है। विवादित भूमि पर उनके स्वत्व व आधिपत्य का आधार दस्तावेजी रूप में पैत्रिक संपत्ति बताकर प्र0पी0 7 लगायत 10 के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। प्र0पी0 7 लगायत 10 के दस्तावेज खसरा व खतौनी हैं। अन्य कोई स्वत्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह सुस्थापित विधि है कि खसरा खतौनी दस्तावेज राज्य के भू राजस्व संबंधी वित्तीय

प्रयोजन के लिए संधारित दस्तावेज होते हैं, इनके आधार पर किसी व्यक्ति को स्वत्व प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **Madhu Janiyani v State of Madhya Pradesh 2014 (3) MPLJ 567** Held- It is settled proposition of law that the Khasra entries are prepared by the revenue authorities for the fiscal purposes to recover the land revenue and such entries does not give any right or title in the property to any person. इसके अतिरिक्त न्याय दृष्टांत **Budhoo v Chironja Bai and Others 2010 (2) MPLJ 178:-** “10. It is settled proposition of law that the record of right of the revenue record are kept only for the fiscal purpose of fixing the liability to pay the land revenue. On the basis of such revenue entries and record, the title of the parties with respect of the land, could not be adjudicated as such record itself is not sufficient to draw the inference confirming the title over the property in favour of either of the parties. In such premises, the findings of the Appellate Court appears to be perverse and contrary to the existing legal position. ” अवलोकनीय है।

10. इस प्रकार से प्रकरण में वादीगण की ओर से खसरा व खतौनी प्र०पी० 7 लगायत 10 की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं जो कि उनके स्वत्व को घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य में नहीं आती हैं। वहीं दूसरी ओर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्र० 1 जगमोहन प्रति०सा० 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में विवादित कृषि भूमि एवं विवादित मकान वादीगण के नाम स्वामित्व व आधिपत्य का होना स्वीकार करते हैं। चूंकि प्रति०क्र० 1 का वादीगण से स्वत्व के संबंध में विवाद नहीं है ऐसी दशा में उसकी स्वीकृति के आधार पर वादीगण को स्वत्व प्रदान नहीं किए जा सकते हैं। यद्यपि उक्त स्वीकृति अवश्य ही वादीगण के विवादित भूमि पर आधिपत्य होने के संबंध में अवश्य सुसंगत है। प्रकरण में प्र०पी० 7 लगायत 10 के दस्तावेज के आधार पर यद्यपि स्वत्व प्रमाणित नहीं हो सकता है किन्तु उन्हें चुनौती न दिए जाने एवं प्रतिवादी क्र० 1 जगमोहन द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में की गयी स्वीकृति एवं प्रति०क्र० 3 लगायत 6 द्वारा प्रति०क्र० 1 के आधिपत्य के संबंध में तथ्य न लेख करते हुए अपना आधिपत्य बताया जाना वादी क्र० 2 की पत्नी एवं बच्चों के रूप में वादीगण के आधिपत्य की पुष्टि करता है।

11. प्रकरण में जहां वादीगण द्वारा विवादित कृषि भूमि व मकान पर शांतिपूर्ण आधिपत्यधारी होने के संबंध में तथ्य बताए हैं, वे प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 17 में पर्वतसिंह वा०सा० 1 कथन करता है कि वह तथा उसका भाई घर पर नहीं रहते क्योंकि प्रति०क्र० 3 मुन्नीबाई व प्रति०क्र० 1 जगमोहन उन्हें घर पर नहीं रहने देता, इस कारण से पहले मामा के लडकों के ट्यूबबैल पर रहते थे और अब गुलाब के ट्यूबबैल पर रहते हैं। साक्षी इसी कण्डिका में कथन करते हैं कि उन दोनों भाईयों के पास 12-13 बीघा जमीन हैं जिसमें इस वर्ष कोई फसल नहीं जोती है एवं मुन्नीबाई ने भी जमीन को नहीं जोता है। यह कथन करता है कि 3-4 साल पहले मुन्नीबाई ने अपने पति तेजसिंह

के हिस्से की जमीन जुतवाई थी और वह अपने हिस्से की जमीन जुतवाता था। प्रतिवादी मुन्नीबाई प्रति0सा0 1 द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में स्वीकार किया है कि दो साल से वादीगण खेती नहीं कर पा रहे हैं और स्वतः कथन किया है कि कुछ खेतों पर खेती कर रहे हैं और कुछ खेत वादी पट (खाली) डाले हैं। जगमोहन प्रति0सा0 2 कण्डिका 4 में स्वीकार करता है कि वादीगण की खेती हल बखर से होती थी और कण्डिका 5 में इस संबंध में जानकारी न होना बताता है कि वादीगण की दो वर्ष से जमीन पड़त पड़ी है। उपरोक्त अभिसाक्ष के आधार पर प्रकरण में यह तथ्य अवश्य अभिलेख पर प्रमाणित हो जाता है कि वादीगण का विवादित भूमि पर आधिपत्य है। यद्यपि उनके द्वारा कुछ हिस्से पर कृषि न की जा रही हो फिर भी किसी अन्य व्यक्ति के आधिपत्य के अभाव में वादीगण का आधिपत्य सुस्थापित है। इस प्रकार से वाद प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष "साबित नहीं हुआ" तथा वाद प्रश्न क्रमांक 2 का निष्कर्ष "साबित" के रूप में दिया जाता है।

// वाद प्रश्न क्रमांक 3 //

12. जहां वाद प्रश्न क्रमांक 2 के आधार पर वादीगण का विवादित कृषि भूमि एवं मकान पर आधिपत्य होना प्रमाणित हुआ है वहीं वादीगण की ओर से प्रतिवादी क्र0 1 द्वारा उनके शांतिपूर्ण आधिपत्य में हस्तक्षेप किए जाने के संबंध में अभिवचन एवं साक्ष्य प्रस्तुत की है। प्रकरण में वादी पर्वतसिंह वा0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 17 में विवादित जमीन को न जोतने का कथन किया है जबकि मुन्नीबाई प्रति0सा0 1 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में स्वीकार किया है कि दो वर्षों से वादीगण खेती नहीं कर पा रहे हैं और स्वतः कथन किया कि कुछ खेतों पर खेती कर रहे हैं व कुछ खाली डले हैं। प्रति0क्र0 1 व प्रति0क्र0 3 दोनों ही साक्ष्य हेतु एक साथ उपस्थित हुए व मुन्नीदेवी प्रति0सा0 1 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में स्वीकार किया है कि प्रति0क्र0 1 के साथ वादीगण ने उसे विधा (उलझा) दिया है इसलिए वह जगमोहन के साथ साक्ष्य देने आई है। प्रकरण में प्रतिवादी क्र0 1 व प्रति0क्र0 3 के मध्य अनैतिक संबंध में बारे में वादीगण द्वारा अभिवचन किया है जिसका प्रत्याख्यान प्रतिवादीगण द्वारा किया गया है। वादीगण की ओर से अभिकथित तथ्य के संबंध में दिनांक 26.02.14 को थाना मौ में दिया शिकायती आवेदन पत्र प्र0पी0 3, लेखीय प्राथमिकी दिनांक 20.08.14 प्र0पी0 4, शिकायत दिनांक 20.08.15 प्रपी0 6 के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं। चूंकि प्रतिवादी क्र0 3 द्वारा साक्ष्य में स्वीकार किया गया है कि वादी क्र0 2 उसका पति उसके साथ नहीं रहता है। प्रतिवादी मुन्नीबाई प्रति0सा0 1 द्वारा अपने शपथपत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 में कण्डिका 2 में यह तथ्य लेख किया कि "वादीगण अपने मामा के लडकों के साथ गांव के बाहर ट्यूबवैल पर रहते हैं। वादी क्रमांक 1 चतुर चालाक व्यक्ति है जो उसके पति को कहे में रखता है और उसे अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता है, वादी क्र0 1 ने उसके साथ जबरन उसकी मारपीट करके कई बार बुरा कार्य किया, जब उसने इसका विरोध किया व आसपास के लोगों से कहा तो वह उसके पति को लेकर घर छोड़कर बाहर खेतों में जाकर रहने लगे।" उपरोक्त तथ्य प्रतिवादी द्वारा अपने अभिवचनों में नहीं किया है। उक्त तथ्य के संबंध में प्रतिवादी मुन्नीबाई प्रति0सा0 1 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका

4 में बताया है कि उसने वादी क्र० 1 पर्वतसिंह द्वारा बुरा काम करने की रिपोर्ट की थी जिसकी नकल वकील के माध्यम से प्रस्तुत कराई थी। उक्त कथित कोई भी रिपोर्ट प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसे में प्रतिवादी क्र० 3 द्वारा अभिवचन के बिना साक्ष्य में प्रस्तुत तथ्य स्वीकार योग्य नहीं हैं। इसी प्रकार से पर्वतसिंह वा०सा० 1 को प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 19 में अभिकथित रूप से प्रतिवादी क्र० 3 के साथ बुरा कार्य करने के संबंध में सुझाव दिए गए वे भी अभिवचनों के बिना स्वीकार योग्य नहीं हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना अभिवचन के कोई भी साक्ष्य स्वीकार नहीं की जा सकती है। इस संबंध में “It is well settled that a case which has not been pleaded in the plaint cannot be made out by evidence. (para-11)” **Caselaw:- "Narbada Devi Gupta v. Birendra Kumar Jaiswal" AIR 2004 S.C.175 = 2003 AIR SCW 5861.** न्यायालय का ध्यान न्याय दृष्टांत **काशीनाथ वि० जगन्नाथ 2004-1 एम पी वीकलीनोट** की ओर आकर्षित होता है जिसमें अभिनिर्धारित किया कि— यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभिवचनो के अभाव मे किसी साक्ष्य को विचार मे नही लिया जा सकता है।

13. प्रकरण में प्रतिवादी क्र० 1 व प्रति०क्र० 3 के मध्य अभिकथित अवैध संबंधों के बारे में पर्वतसिंह वा०सा० 1 द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 19 में स्पष्ट रूप से कथन किया कि उसने मुन्नीबाई व जगमोहन को बुरा कार्य करते हुए व साथ साथ परे अर्थात लेटे हुए देखा था। कण्डिका 20 में कथन करता है कि दो साल पहले जब वह तथा उसका भाई घर पर रहते थे तब प्रतिवादीगण को बुरा काम करते देखा था और तब से ही बुरा काम करते हुए नहीं देखा। साक्षी से ऐसा पूछे जाने पर कि जब उसने प्रतिवादी क्र० 1 व 3 को बुरा काम करते देखा तो क्या उसका विरोध नहीं किया तो साक्षी ने बताया कि उससे बुरा काम होते नहीं देखा गया इसलिए घर छोड़कर ट्यूब बैल पर रहने लगे। कण्डिका 21 में यह भी बताया कि उसने उक्त प्रतिवादीगण के गलत संबंधों के बारे में प्रति०क्र० 1 के पिता व ताउ एवं भाई से कहा था तो उन्होंने कुछ नहीं कहा और कहाकि जगमोहन तुम्हारे घर नहीं जाएगा। उसने शर्म के कारण प्रतिवादीगण के मध्य गलत संबंधों की कोई रिपोर्ट नहीं की और न कोई पंचायत की। प्रकरण में उक्त तथ्यों के संबंध में प्र०पी० 3, 4 व 5 के दस्तावेजों में तथ्य लेख किए गए हैं जिनके खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से कोई आधार प्रस्तुत नहीं हैं। फिर भी वादीगण द्वारा विवादित भूमि एवं मकान पर प्रतिवादी क्र० 1 द्वारा हस्तक्षेप के कारण मकान छोड़कर ट्यूबबैल पर रहने और खेती पड़त डली रहने के तथ्य का अवश्य समर्थन होता है। प्र०पी० 3 लगायत 6 के दस्तावेजों से भी वादी के तथ्यों का समर्थन होता है। जहां प्रकरण में वादीगण का विवादित भूमि एवं मकान पर शांतिपूर्ण आधिपत्य एवं प्रति०क्र० 1 का कोई अधिकार न होना पाया गया है ऐसी दशा में सुस्थापित विधि है कि स्थापित आधिपत्य का संरक्षण किया जाना चाहिए। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **Prataprai N. Kothari v/s John Braganza M. Srinivasan 1999 AIR(SC) 1666 :1999 4 SCC 403** की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि “Person who has been in long continuous possession can protect the same by seeking an injunction against any person in the

world other than the true owner. It is also well settle that even the owner of the property can get back his possession only by resorting to the due process of law.”

इसी प्रकार से न्यायदृष्टांत **AIR 2004 SUPREME COURT 4609 "Rame Gowda v. M. Varadappa Naidu"** की ओर आकर्षित होता है जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि के सम्यक अनुक्रम के शिवाय किसी शान्तिपूर्ण आधिपत्यधारी के आधिपत्य को सुरक्षित रखे जाना अभिनिर्धारित किया है। ऐसी दशा में प्रतिवादी क्र० 1 जो कि विवादित भूमि एवं मकान में कोई हक नहीं रखता उसके विरुद्ध निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने हेतु न्यायोचित व पर्याप्त आधार पाया जाता है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 3 का निष्कर्ष **"साबित"** के रूप में दिया जाता है।

सहायता एवं व्यय

14. उपरोक्त विवेचन के आधार एवं तथ्यों व साक्ष्य की अधिप्रबलता के आधार पर वादीगण विवादित कृषि भूमि स्थित बांके मौजा गुरियाची परगना व तहसील गोहद जिला भिण्ड सर्वे क्र० 68/2 जिसके रकबा 0.08 का वादी क्र० 1 तथा रकबा 0.62 हे० का वादी क्र० 2 शेष भूमि सर्वे क्र० 72/2 रकबा 0.282, सर्वे क्र० 308 रकबा 0.251, सर्वे क्र० 361 रकबा 0.115, सर्वे क्र० 382 रकबा 0.073, सर्वे क्र० 383 रकबा 0.042, सर्वे क्र० 393 रकबा 0.115 एवं सर्वे क्र० 814 रकबा 0.512 हे० पर दोनों वादीगण का समान रूप से आधिपत्य प्रमाणित करने एवं विवादित मकान जिसकी चतुर सीमा में उत्तर में मकान मेहताबसिंह, दक्षिण में मकान अजमेरसिंह, पूर्व में रास्ता एवं प्रथ्वीराज का गोंडा तथा पश्चिम में रास्ता एवं मकान मानसिंह, जिसे वादपत्र संलग्न नजरी नक्शा में लाल रेखांकित भाग के रूप में दर्शित किया है, पर अपना शांतिपूर्ण आधिपत्य प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अतः वाद अंशतः निम्नानुसार आज्ञप्त किया जाता है।

1—वादीगण के पक्ष में एवं प्रति०क्र० 1 के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है कि प्रति०क्र० 1 न तो स्वयं और न ही अपने हित प्रतिनिधि के माध्यम से उपरोक्त विवादित भूमि एवं विवादित मकान में वादीगण के शांतिपूर्ण आधिपत्य में कोई हस्तक्षेप करेगा, न ही करावेगा।

2—उभय पक्षों का वाद व्यय प्रतिवादी क्र० 1 वहन करेगा। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार, जो भी कम हो, आज्ञप्ति में जोड़ी जाये।

तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित व दिनांकित
कर उद्घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित
किया गया।

(Amit kumar Gupta)
Civil judge Class-1
Gohad distt.Bhind (M.P.)

(Amit kumar Gupta)
Civil judge Class-1
Gohad distt.Bhind (M.P.)